कार्यालय जिला कृषि अधिकारी, औरैया

पत्रांक 399/कृषि/लेखा/निविदा/2019–20 दिनांक 09/09/, 2019

अल्पकालीन ई–निविदा विज्ञप्ति

वित्तीय वर्ष 2019–20 हेतु जनपद के अन्दर एवं जनपद के बाहर बीजों के परिवहन एवं पल्लेदारी हेतु इच्छुक ठेकेदारों (ट्रक स्वामी) से ई–निविदायें आमंत्रित की जाती हैं, समस्त इच्छुक ठेकेदार उक्त कार्य हेतु ई–प्रोक्योरमेंट प्लेटफार्म (http://etender.up.nic.in) पर ई–निविदा प्रकाशन तिथि 12.09.2019 से दिनांक 16.09.2019 को अपरान्ह 4.00 बजे तक ई–निविदा आमंत्रित की जाती हैं जो दिनांक 18.09.2019 को अपरान्ह 3.00 बजे निविदा समिति के समक्ष तकनीकी निविदा जिला कृषि अधिकारी , औरैया के कार्यालय में खोली जायेंगी एवं दिनांक 19.09.2019 को अपरान्ह 3.00 बजे वित्तीय निविदा खोली जायेगी। निविदा हेतु निर्धारित निविदा शुल्क एवं धरोहर धनराशि एवं उस पर देय स्थानीय कर जी0एस0टी0 का पृथक–पृथक बैंक ड्राफ्ट का डिमान्ड ड्राफ्ट की स्केन कापी एवं निर्धारित प्रारूप पर अभिलेख के साथ ऑन लाइन अपलोड किया जाना अनिवार्य है। शुल्क एवं धरोहर धनराशि की मूल प्रति एवं अपलोड किए गए निविदा प्रपत्र को निविदा जमा किए जाने की अन्तिम तिथि 17.09.2019 को अपरान्ह 1.00 बजे तक जिला कृषि अधिकारी, औरैया के कार्यालयय में सील्ड बन्द लिफाफे में जमा करना अनिवार्य होगा।

क्र0सं0	कार्य का विवरण	निविदा प्रपत्र मूल्य जी0एस0टी0 सहित	धरोहर धनराशि
1.	जनपद के अन्दर/बाहर की ढुलाई एवं पल्लेदारी का कार्य	रु0– 2100.00	रु0 50000.00

1. विड डाक्यूमेंट की उपलब्धता एवं विड सब्मिट करने का माध्यम विड डाक्यूभेंट ऑन लाइन ई–निविदा प्रकाशन के दिन से उपलब्ध रहेगा जो ऑन लाइन की टेन्डर की बैबसाइट (http://etender.up.nic.in) पर ही सब्मिट किया जा सकेगा। ई–निविदा डालने हेतु निविदा दाताओ को उपरोक्त बैब्साइट पर पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। ई–निविदायें ऑनलाइन डालने हेतु निविदादाताओ के पास यू0पी0 इलेक्ट्रोनिक्स कारपोरेशन लि0 लखनऊ द्वारा डिजिटल सिगनेचर एप्रूब्ड होना अनिवार्य है।
2. विड डाक्यूमेंट की सत्यता के सम्बन्ध में निविदादाताओं को रु0 10.00 के स्टाम्प पर शपथ पत्र भी देना होगा। पेन कार्ड, जी0एस0टी0, रजिस्ट्रेशन पत्र तथा मांगे गए सभी डाक्यूमेंट्स की सत्यता रु0 10.00 के स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र ऑन लाइन प्रस्तुत करें।
3.धरोहर धनराशि जिला कृषि अधिकारी, औरैया के पदनाम से बैंक ड्राफ्ट निर्गत कराकर ऑन लाइन अपलोड करने के साथ–साथ मूल रूप से दिनांक 17.09.2019 को अपरान्ह 2.00 बजे तक निविदा खोलने से पूर्व जमा करना अनिवार्य होगा। निविदा की शर्त एवं विवरण (http://etender.up.nic.in) पर उपलब्ध है जहां से डाउन लोड किया जा सकता है।

(आवेश कुमार सिंह)
जिला कृषि अधिकारी,
औरैया।

कार्यालय– जिला कृषि अधिकारी, औरैया।
ई–निविदा की शर्ते व निर्देश :–

निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न शर्तो के अधोलिखित निर्देष एवं शर्ते निविदादाता/परिवहन ठेकेदार पर लागू होगी तथा निविदा प्रपत्र का भाग समझी जायेगी। अतः निविदादाता द्वारा अधोलिखित निर्देषों एवं शर्तो को पालन करना अनिवार्य हैं। निविदादाता कृपया निविदा प्रपत्र भरने एवं जमा करने के पूर्व इन निर्देषों एवं शर्तो को ध्यान से पढ़कर उनका अनुपालन करना सुनिश्चित करें।

1. निविदा प्रपत्र का मूल्य जी0एस0टी0 सहित रू0– 2100.00 निर्धारित है। जिसे जिला कृषि अधिकारी, औरैया के पक्ष में राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा निर्गत बैंकड्रफ्ट को आनलाइन अपलोड करना होगा। निविदा खोलने के समय बैंक ड्रफ्ट मूल रूप में कार्यालय में उपलब्ध कराना होगा। निविदादाता की लिखित सहमति के उपरान्त टेंण्डर दरों पर निगोषियेषन कर दरें तय की जा सकती हैं निविदादाता अथवा उनके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि की उपस्थिति में अग्रिम निगोषियेषन न करके मेरिट के आधार पर निर्णय किया जायेगा।
2. टेंण्डर केवल ई–निविदा के माध्यम से मान्य होगा। अर्नेस्ट/धरोहर धनराषि रू0–50000.00 निर्धारित है। जिसे जिला कृषि अधिकारी औरैया के पक्ष में राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा निर्गत एफ0डी0आर0/बैंक ड्राफ्ट को आनलाइन अपलोड करना होगा। निविदा खोलने के समय एफ0डी0आर0/बैंक ड्राफ्ट मूल रूप में कार्यालय में उपलबध कराना होगा, तथा टेण्डर/निविदा के धनराषि की सीमा अनुमानित 2000000.00 रखी गयी है।
3. टेण्डर दाताओ के पास परिवहन ढुलाई निवेषों के कार्य हेतु जो भी साक्ष्य उपलब्ध हो उसे टेंण्डर फार्म के साथ अपलोड किया जायें। जिसके पास अपनी स्वामित्व नाम की निजी ट्रकें हैं ट्रक संख्या एवं रजिस्ट्रेषन नं0 देते हुए स्थानीय ट्रांसपोर्ट अधिकारी द्वारा प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न किया जाये। ट्रकों के स्वामित्व के सम्बन्ध में मूल रजिस्ट्रेषन प्रपत्र टेंण्डर के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य है एवं एक ऐसी भी सूची संलग्न की जाये जिसमें उनके द्वारा किये गये ठेके के कार्यो का विवरण हो जो सफलता पूर्वक सम्पन्न किये गयें हों। ऐसे ठेकेदार जिनकी अपनी निजी ट्रकें उनके नाम की नही हैं निविदा के पात्र नही होगें। उनके द्वारा दिया गया टेंण्डर निरस्त माना जायेगा। जहॉ तक पार्टनरषिप की बात है उसके लिए पार्टनरशिप डीड या रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र टेंण्डर के साथ अपलोड करना अनिवार्य होगा। ऐसे मामले जहॉ ट्रके कम्पनी/पार्टनर के नाम हो उसे माना जा सकता है परन्तु जो पंजीकृत नही है उस पर विचार नही किया जायेगा।
4. निविदा कमेटी को यह अधिकार सुरक्षित होगा कि किसी भी निविदा को पूर्णरूपेण अथवा आंषिक रूप से अस्वीकार कर सकती है साथ ही बिना कोई कारण बताये किसी भी निविदा को अस्वीकार किया जा सकता है और इस हेतु कोई प्रार्थना पत्र या अपील न तो सुनवाई होगी और न ही स्वीकार किया जायेगा। शर्त युक्त निविदा अमान्य होगी।
5. ठेकेदार के बिलों से नियमानुसार आयकर की कटौती की जायेगी। टोल टैक्स भी ठेकेदार को वहन करना होगा।
6. जिस निविदा दाता का चालू वर्ष 2019–20 हेतु निविदा स्वीकृत होगा उसके द्वारा जिला कृषि अधिकारी औरैया के नाम से रू0–100000.00 की बन्धक बैंक एफ0डी0 अथवा बैंक गारन्टी जमा करना होगा।
7. ठेकेदार को पल्लेदारो की व्यवस्था स्वयं करनी होगी।

जिला कृषि अधिकारी
औरैया